>

Title: Discussion on points arising out of the answer given by the Minister of External Affairs on 9.05.07 to Starred Question No. 487 regarding Non-Issuance of Visas & Passport to Indians living abroad.

श्री अविनाश खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं पिछले तीन सैशन पहले यह एडमिट हुआ था और आज इस पर चर्चा की जा रही है। इसका कारण यह है कि मैं इसको फालो करता रहा हूं क्योंकि यह बहुत सीरियस मैटर है।

17.43 Â½ hrs.

(Shri Devendra Prasad Yadav in the Chair)

महोदय, मैंने एक प्रश्न 487 पूछा था, जिसके पांच पार्ट थे। "Whether Indian Embassies and High Commissions are not issuing visas and passports to several Indians livings abroad to allow them to return to India. " इसका जवाब आया "No, Sir. " मेरा अगला प्रश्न था "Whether the Government has prepared any list of persons to whom these facilities are not to be extended." तब डीटेल रिप्लाई सरकार की तरफ से आई, जिसमें जवाब दिया गया था "a separate list of persons are maintained keeping in mind the interests of the country, who are to be given a passport or visa with the prior approval of the Government. Passport facilities are restricted only in the cases covered by the relevant provisions of the Passport Act or in the case of those who seek or obtain asylum abroad." मेरे निर्वाचन क्षेत्र में और उसके आस- पास के क्षेत्र के काफी लोग बाहर जाते हैं। There are many legal and illegal ways to go abroad. सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने इसके लिए कोई रेगूलेटरी एथॉरिटी नहीं बनाई है। एक आदमी को सब्जी की दुकान लगाने के लिए लाइसेन्स लेना पड़ता है, लेकिन आदमी बाहर भेजने के लिए किसी लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है।[r79] सो लोग बहुत ज्यादा इल्लीगल वे से विदेश जाते हैं, एजेण्टों के चक्कर में फंसकर वे जाते हैं, अपनी जमीन जायदाद बेचकर वे जाते हैं। बाहर जाकर क्या होता है, जैसे उन लोगों को गाइड किया जाता है कि आप जब विदेश में उतरोगे तो अपना पासपोर्ट डिस्ट्राय कर देना और एक बात कहना कि इंडिया में हमें खतरा है तो वे आपको सिटीज़नशिप दे देंगे। बहुत से ऐसे लोगों ने, जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने देश के खिलाफ कुछ नहीं किया, सिर्फ एक इन्नोसेंट होने के कारण आज कई तो विदेशों की जेलों में लॉज़्ड हैं। लेकिन जो डाटा विदेश मंत्रालय ने दिया है, वह डाटा तो 6 हजार के करीब है, जो इंडियंस विदेशों की जेलों में लॉज़्ड हैं, लेकिन असलियत में यह डाटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो एम्बेसीज़ हैं, वे इतना कष्ट नहीं करतीं कि वहां पर जाकर अपने इंडियंस को सर्च करे, काउंसलर्स असैस करे, आइडेंटीफाई करे, इसके कारण बहुत से लोग विदेशों की जेलों में भी हैं और वैसे भी हैं, लेकिन उनको इंडिया आने के लिए वीजा और पासपोर्ट इसलिए इश्यू नहीं किया जाता कि कई लोगों ने शायद यह कह दिया है कि उन्हें इस देश में खतरा है।

मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। हर केस को एक ही रस्से से नहीं बांधना चाहिए। अगर किसी ने भारत के खिलाफ कोई बात कही है या की है तो उसको उस हिसाब से डील किया जाये। अगर किसी ने सिर्फ सैटिल होने के कारण एक प्रथा चल गई कि ठीक है, वहां उतरते ही यह बोल दो तो आपको वहां पर स्टे मिल जायेगा, वह कहा है तो इन दोनों चीजों में काफी फर्क है। सरकार का यह फर्ज बनता है कि इन दोनों बातों को आइडेंटीफाई करे कि किसने क्राइम किया है, किसने क्राइम नहीं किया, अगर सभी को 25-25 वर्ष हो गये हैं। आज भी मुझे कनाडा से फोन आया था कि मैं अपने देश में आना चाहता हूं, अपने देशवासियों से मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे एलाऊ नहीं किया जा रहा है। उसका कसूर क्या है?...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्वश्चन पूछिये।

श्री अविनाश राय खन्ना : क्वश्चन यही है कि उन्हें बाहर क्यों रखा गया है, जबकि उनका कसूर कोई नहीं है। मेरा क्वश्चन यही है कि क्या सरकार, जो लोग बाहर बैठे हैं, वे विदेश से आना चाहते हैं...(व्यवधान) दासमुंशी जी, यह इम्पोर्टेंट मैटर है, तीन सैशन से मैं इसको ला रहा हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका क्वश्चन हो गया।

श्री अविनाश राय खन्ना : मेरे पास आधा घंटा है।

सभापति महोदय : इसमें अन्य माननीय सदस्य भी पार्टीसिपेट करने वाले हैं।

श्री अविनाश राय खन्ना : लेकिन मेरा टाइम तो है। तो क्या उन लोगों की कोई लिस्ट बनाकर...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका अन्य माननीय सदस्य सहयोग करना चाहते हैं।

श्री अविनाश राय खन्ना : ठीक है। क्या कोई ऐसी लिस्ट बनाकर उन लोगों से रिक्वैस्ट लेकर उन लोगों के केसेज़ को आईडेंटीफाई करके अगर किसी के खिलाफ सीरियस ऑफेंस नहीं बनते तो क्या सरकार उन लोगों को अपने देश में विजिट करने की आज्ञा देगी?

दूसरे, जिन लोगों को सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, चाहे किसी भी सरकार ने किया हो, क्योंकि आपके देश के खिलाफ जब बात होती है तो ऐसी बातें होती हैं। क्या उस लिस्ट को पब्लिश करके उनके केसेज़ को लोकल पुलिस स्टेशन से, पुलिस आफिसर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से वैरीफाई करवाकर क्या वाकई इन लोगों का जो कैरेक्टर है, उनका जो व्यवहार है या उनका लाइफ स्टाइल है, वह क्रिमिनल तो नहीं है, ऐसी चीजों को आईडेंटीफाई करवाकर उन लोगों को भारत में विजिट करने का अधिकार देगी या नहीं देगी?

एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर कोई मर्डर करता है, उसे सजा हो जाती है तो जेल से भी सरकार उसको पैरोल पर छोड़ने की बात करती है। लोग खेती-बाड़ी करते हैं, अगर कोई सीजन आ गया तो उनका कैरेक्टर देखकर उनको कहते हैं कि आप दो महीने के लिए अपने घर जाओ। अगर एक मर्डर करने वाले को इतनी रियायत दी जा सकती है। इसी तरह कोई प्रोबेशंस एक्ट में क्राइम करता है, उसको जमानत पर छोड़ दिया है तो इन लोगों को, जो लोग विदेशों में बैठे हैं, वे अपने देश के लिए कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको भारत में लाने का क्या सरकार प्रयास करेगी? क्या सरकार ऐसी कोई एथॉरिटी बनाएगी, जिसमें वे लोग एप्लाई कर सकें, उनकी एप्लीकेशंस को देखकर, उनकी एप्लीकेशंस को समझकर, उनको वैरीफाई करके केसवाइज़ अगर उनका कोई कसूर नहीं है तो उनको क्या भारत में लाने का प्रयास किया जायेगा?[R80]

महोदय, मैं आपको एक इंस्टांस बताना चाहता हूं। मेरी कांस्टीच्युंसी में बहुत गरीबी है। वहां के बहुत से लोग अरब कंट्रीज में, कुछ लोग कनाडा, अमेरिका और यूके में जाकर बसे हैं। जो एजेंट्स हैं, वे उनको ऐसा सपना दिखाते हैं कि आप वहां इतने डालर कमाएंगे। वे उनसे लाखों रूपए लेकर उनकी सारी जमीन बिकवाकर, उन्हें विदेश ले जाते हैं और जो सी-पोर्ट है, वहां उनको छोड़ दिया जाता है। मैं एक इंसीडेंट आपको बताता हूं। एक अनपढ़ सरपंच के बेटे की मौत हो गयी, तो मैं उसका हालचाल पूछने गया। उसने कहा कि मेरे बच्चे को एजेंट लेकर गए हैं। मैं उनको बार-बार कह रहा था कि आप इनको डंकी बनाकर न ले जाएं। इसका मतलब है कि सी-पोर्ट्स के ऊपर, उन लोगों को बिना किसी वैलिड बीजा के, इल्लीगल तरीके से लेकर जाया जाता है।

सभापति महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अविनाश राय खन्ना : क्या ऐसा कोई कानून बनाना सरकार के ध्यान में है कि जो ट्रेवेल एजेंट हैं, उनको रैग्युलराइज्ड किया जाए, उनकी कोई ऐसी अथारिटी दी जाए, कोई रैग्युलेरिटी अथारिटी बने कि कौन-कौन लोग किसी को विदेश में लेकर जा सकते हैं? क्या सरकार जो लोग विदेशों में बाहर बसे हुए हैं, जिनको आप सो-काल्ड ब्लैक लिस्टेड कहते हैं, जिनकी ब्लैक लिस्ट बनायी गयी है, उनके केसेज की इंक्वायरी कराकर कुछ लोगों को भारत में लाने की आज्ञा दे रही है? अगर हां, तो यह कार्य कब तक आप कर सकेंगे? इस बारे में कृपया बताइए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब तक कायदा रहा है कि आधे घंटे की चर्चा में भाग लेने के लिए दस बजे से पहले नाम देना पड़ता है। उसके बाद लाटरी से नाम निकालकर नोटिस बोर्ड पर लग जाना चाहिए, लेकिन अभी तक मेरा नाम वहां नहीं लगा। अभी मैंने मालूम किया, तो मुझे बताया गया कि आपका नाम है। कम से कम भविष्य में इस ओर थोड़ा ध्यान दें।

सभापति महोदय : आप तो पूरा पढ़कर आए हैं। हाफ एन आवर का डिस्कशन पहले से कार्यसूची में अंकित है।

प्रो. रासा सिंह रावत : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं। हमारे राजस्थान के अंदर शेखावाटी क्षेत्र में ऐसे कई ट्रेवेल एजेंट्स हैं, जो अखबारों में विज्ञापन देते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता और विदेशों में नौकरी के नाम पर कुवैत के अंदर, अमीरात के अंदर या सऊदी अरब के अंदर नौकरी दिलाने का झांसा देकर, उनसे बहुत सारे पैसे लेकर, नकली पासपोर्ट बनाकर उन्हें ले जाते हैं। कई बार ऐसे लोग पकड़े गए, उनके बड़े-बड़े जखीरे पकड़े गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के जो ट्रेवेल एजेंट्स हैं, उनके पंजीकरण की कोई व्यवस्था विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय के अंदर है? यह पहला सवाल है। अगर ऐसा है, तो पिछले एक साल के अंदर कितने नकली पासपोर्ट पकड़े गए हैं जिनकी सरकार जांच कर रही है?

मेरा एक प्रश्न यह है कि जो विदेशों में ले जाए गए, वहां उनको नौकरी से हटा दिया गया। कुछ लोग उन्हें ले गए। वह दो-चार दिन वहां रहा और फिर उसे हटा दिया गया। वहां वे बेचारे बैठे हुए हैं, उनका वापस आने के लिए बीजा नहीं बन रहा है। कई लोगों की वहां मृत्यु हो जाती है, शव लेने के लिए रिश्तेदार आते हैं। उसकी लाश लेने के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता है।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि इस संबंध में नकली पासपोर्ट..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will to go on record except the speech of Shri Radhakrishnan.

*(Interruptions) *â€¦*

* Not recorded

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN (CHIRAYINKIL): I would like to put a clarificatory question with regard to the issuance of visa and passports to Indians living abroad. There have been a lot of complaints for renewal methods also. Lakhs and lakhs of people are residing in the Gulf countries. Many of them do not get renewal at the proper time and it is even said that bribe has become the order of the day. Even officials connected with the Embassy are taking bribe from poor Indians who are working abroad. This is not confined to Gulf countries alone and it is happening in other countries also. In America, I have the information that passport is not renewed without the payment of money. Such a practice should not be allowed. Many Indians, if they want to get renewal of passport, they will have to give money to the people working in Indian Embassies.[R81] Such situation prevails in many countries. I have personal information about these matters. Some people living abroad have complained to me that they had to pay huge sums for renewal and for even issuance of passport. It has become a widespread complaint throughout the nation.

So, I would request the hon. Minister to make an inquiry and to see that proper action is taken against those who are indulging in this malpractice and that issuance of new passports and renewal are done without any delay; without giving any room for complaint; and without taking bribes from these poor people working abroad.

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमारे पास आपका नोटिस नहीं है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हमने नोटिस दिया है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, सिर्फ एक क्लैरीफिकेशन पूछ लीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक प्रश्न पूछने का अवसर दिया।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको विशेष परिस्थिति में प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना ने आधे घंटे की चर्चा में यह बात उठाई है कि जो भारत के प्रवासी विदेश में रहते हैं, उन्हें वीज़ा पासपोर्ट मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, यह बात सत्य है। हम भी स्पीकर साहब के साथ ग्रीस गए थे। वहां तमाम भारत प्रवासी शिकायत कर रहे थे कि वीज़ा और पासपोर्ट बनाने में न हमारा वहां का दूतावास मदद करता है और न वहां की सरकार मदद करती है। यह बड़ा गंभीर मामला है। कई लोगों ने यह बात भी कही कि अगर हमारे माता-पिता का देहान्त हो जाता है या वे बीमार रहते हैं, तो हमें जाना पड़ता है। हम उसके लिए आवेदन करते हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जबकि ऐसे मौके पर प्राथमिकता देते हुए वीज़ा और पासपोर्ट दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे अवसर पर प्राथमिकता देते हुए उन्हें वीज़ा और पासपोर्ट जारी करने के लिए विदेशों में हमारे दूतावासों को निर्देशित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ANAND SHARMA): Hon. Chairman, thank you. This issue which has been raised here in this House today through this Half-an-Hour Discussion, was raised through a Question earlier. I had given a comprehensive reply to the Question of the hon. Member on the 9th of May, 2007.

I would like to say at the very outset that the Indian missions abroad follow the policy and instructions of the Government of India to render all assistance to the Indian citizens living abroad, who apply for visa and also to those People of Indian Origin who apply for visa and wish to visit the country.

As far as the Indian nationals living abroad are concerned, they do not require any visa to visit their own country. A large number of Indians, those who have gone out to work; to engage in business; those who are legal migrants, all of them, as and when they apply for the PIO Card, they get the PIO Card or the overseas citizenship of India. So, the Government of India has created every possible avenue so that the difficulties which may have been faced by the Indians living abroad, those who have taken the citizenship of other countries, can be mitigated to a large extent.

There is no denial of passports by our missions when the passport requests have been made, except in those cases where there is very clear violation of the provisions of the Indian Passports Act, 1967. In that case, the missions and the officials concerned are very much within their right to refuse the issue of passports.

The second case is that where the person concerned has applied for political asylum abroad and has obtained political asylum or the application is under consideration. So, that is the very clear policy of the Government of India. But still the humane aspect has never been overlooked.[MSOffice82]

18.00 hrs.[MSOffice83]

Even in such cases where the Government of India has no responsibility and no moral obligation, if a relative is ill or if parents are ill, as has been referred to by the hon. Members, Emergency Certificate is given to them to visit India. In case of those who have sought political asylum, let me for the benefit of the hon. Members clarify that, a Short Validity Passport of six months' duration is given. They can visit their families and relatives. But that passport has the validity only for the country for which they have sought political asylum. So, after that, they have the freedom to return.

In case of illegal migrants, the Government of India is sympathetic to their problems. This is an issue which has generated much concern, especially in States like Punjab. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, please wait for a minute.

Now, it is 6 o'clock. We have to take up item no. 15 and pass the Payment and Settlement Systems Bill, 2006. If the House agrees, I extend the time of the House till this Bill is passed.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, जीरो ऑवर का क्या होगा?

सभापति महोदय : आप चेयर को को-आपरेट कीजिए और कुछ सरकारी काम होने दीजिए।

SHRI ANAND SHARMA: In case of those who have illegally gone out of the country, there are two categories. One category is, the people who travel on passports, on legal documents, who are allured by travel agents and other service providers. But when they reach their destinations, they destroy the travel documents which are given by the country. The second category is, those who actually go on forged passports or without valid documents given by the Government of India. In case of such people, those who have been trapped, those who have been misled, our missions have very clear instructions to help them to return to India once the nationality is established. In case of those who destroy their identity documents, destroy their passports, the State Governments concerned have to confirm about the nationality. After that Emergency Certificates are given to allow them to return to India.

In case of illegal migrants who go to countries on valid documents, but do not get the landing rights, every assistance is given to them to return. But those who get the landing rights or the right to stay in the country, Full Validity Passports are issued. We have done so last year in case of Greece. If I may share the information with hon. Members, in case of Spain and Greece, 3,000 such persons were given passports. We had also done so in anticipation when there was speculation that the Government in Portugal may also grant the landing rights.

In case of those illegal migrants who may have the possibility of the regularization of their stay, we have recently, in the month of August, given instructions that in their case also, a Short Validity Passport may be given to help them where the issuance of passport will help in regularization of stay.[MSOffice84] And such passports are of one year validity, renewable for one year. So, to say that the Government of India is not concerned is not true. The Government of India is doing everything that is possible. The Government of India does refuse both visas as well as the issuance of travel documents in those cases where the people are in the Prior Approval Category, the PAC. So, there is a difference here. The PAC is different from the black list. The PACs where the Intelligence Agencies and the Security Agencies have clearly identified individuals living abroad for indulging in activities which were prejudicial to the national interests of India. In that case also the Missions do not deny or refuse, but they forward the application or the request which has been received to the Government of India and in most of these cases, emergency certificates are given. As far as black list is concerned, it is again of three categories − Grade A, Grade B and Grade C. Grade A blacklist is of those people who have committed acts of terrorism, have the potential to threaten the integrity of India and also those who are guilty of having committed heinous offences and have been convicted whether for drug trafficking, murder, violence, rape, paedophiles. Surely, that list is a permanent list which we do not review. But the Grade B list where the conviction is for less than two years is definitely reviewed.

The hon. Member, Shri Varkala Radhakrishan was saying − he is not present here − about the Missions not being cooperative or the Indian Missions harassing such people and the charges of corruption. Now, Sir, it is very easy to make sweeping allegations. If there is any specific information which is given to us about any misconduct on the part of any Indian official working in one of our Missions abroad, that would warrant strict and prompt action. But the Indian Missions, especially in the Gulf countries, have been over-stretched to help such illegal migrants to return home. Recently, when the UAE had announced the amnesty scheme, emergency certificates were issued in case of UAE alone to 40,000 such people and in case of others,

20,000, passports were restored. The Government of India makes every possible effort to help them to get back home. The issue, therefore, is not what the Government of India is trying to do not. It is a much larger question. A reference was made and a question was put that what is being done about the travel agents? Now the State authorities in the State of Punjab from where the hon. Member, Shri Avinash Rai Khanna comes from or in Kerala or in Andhra Pradesh ...(*Interruptions*)

PROF. RASA SINGH RAWAT : `Shekawati' in Rajasthan.

SHRI ANAND SHARMA: We also include `Shekawati'. For that matter, any State in India, wherever such travel agents or touts are operating, those lists are there. Many of our nationals who have been put in this helpless situation have named the people or the travel agents who have lured them, misled them and they walk into a trap. It is true, it is a social problem, that they sell their lands or the families; part with all their money what they have and then these people land either in prisons or in employment which is illegal. Therefore, the concerned State agencies have to take action. It would very much be advisable and we would suggest also to the Ministry of Home Affairs that a Special Cell is created to screen, to vet all such travel agents. But a campaign also has to be mounted not only by the Government but by the State Governments also.[a85] Compaign has also be to mounted by the representatives of the people, whether Members of Parliament or MLAs, to sensitise the people about this problem and about this threat so that people do not get lured away and subsequently land in similar situations because we have a large number of illegal migrants, those who have gone out of India. In the Gulf alone, the figure may be about two-and-a-half million. I have given the figures only of the UAE where we tried to help. A similar help was given in Kuwait where another 12,000 were brought back. So, the Government of India has remained committed to take action where required. There is no case where any *bona fide* person has been denied travel documents or the right to return to India.

श्री अविनाश राय खन्ना : सभापति महोदय, एक सप्लीमेंट पूछनी है।

सभापति महोदय : इस पर अब कोई सप्लीमेंट नहीं होगी। काफी विस्तार से जवाब दिया गया है।

प्रो. रासा सिंह रावत : कभी-कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों का वहां देहांत हो जाता है, उन्हें यहां लाने में बड़ी दिक्कत आती है।

श्री आनन्द शर्मा : जहां तक देहांत की बात आपने कही है, जहां भी ऐसा होता है, इल्लीगली नहीं, कभी भी किसी भारतीय नागरिक का देहांत हो जाए, जैसे ही हमारे पास कोई दरख्वास्त आती है, हम हस्तक्षेप करते हैं और हमारा मिशन वापस लाने में पूरी मदद करता है। मेरे पास जब भी इस तरह की कोई जानकारी आई है, हमने हमेशा उस पर कार्यवाही की है।

श्री अविनाश राय खन्ना : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा। मंत्री जी ने डिटेल्ड रिप्लाई दिया है। आपके पास मेरे कई लैटर्स जाते हैं। आप यहां पर एश्योर कर दें कि जो लिस्ट है, केटेगरी 1,2 और 3 की, वह हम रिव्यू करते हैं। जिन्होंने स्टेट या देश के खिलाफ कोई बात की है, मैं उनके बारे में नहीं कहता, लेकिन जिनका खास कसूर नहीं है, उनके लिए, लिस्ट को रिव्यू करने के लिए, आपकी पालिसी के तहत कब-कब ऐसा होता है?

श्री आनन्द शर्मा: शायद माननीय सदस्य मेरी बात समझ नहीं पाए हैं। जो लिस्ट है, वह इल्लीगल माइग्रेंट्स की नहीं है। उनकी कोई लिस्ट नही बनती। उन्हें वापस लाने में हम पूरी मदद करते हैं। लिस्ट है प्रायर एप्रूवल केटेगरी की, जिनके बारे में सुरक्षा एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, यहां गृह मंत्रालय के पास जानकारी आती है, उनमें अधिकांश केसेज में इमर्जेंसी सर्टिफिकेट्स दे दिए जाते हैं। एक लिस्ट है ब्लैक लिस्ट, वह 'ए' केटेगरी की है। उसे कभी भी रिव्यू नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें बड़े अपराध में जो लोग संलिप्त होते हैं, जो सजायाफ्ता मुजरिम हैं या आतंकवादी हैं। दूसरी लिस्ट केटेगरी 'बी' की है। उसे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी खुफिया एजेंसीज दस बरस बाद रिव्यू करती हैं। लेकिन कोई भी इल्लीगल को बाहर रखने की लिस्ट नहीं है।

18.13 hrs.